कोड बंद होने से कई कियोस्क संचालक बेरोजगार

कियोस्क संचालकों ने लगाया आर्थिक शोषण का आरोप, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जून। कोड बंद होने से कई कियोस्क संचालक बेरोजगार हो गये हैं। कियोस्क संचालकों ने आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुये निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रीवा रीजनल ऑफिस से जुड़े कियोस्क (बीसी) संचालकों ने बैंक प्रबंधन पर आर्थिक शोषण और मनमानी कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। प्रभावित संचालकों का कहना है कि बैंक द्वारा अधिकृत कम्पनियों के माध्यम से उन्हें कियोस्क आवंटित किए गए थे लेकिन बाद में बिना पर्याप्त सूचना दिए उनके बीसी कोड बंद किए जाने लगे, जिससे कई युवाओं का रोजगार संकट में पड़ गया है। कियोस्क संचालकों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर कम्प्यूटर, प्रिंटर,

इंटरनेट एवं अन्य आवश्यक उपकरणों पर लाखों रुपये खर्च किए।

उनका आरोप है कि कुछ समय संचालन के बाद अचानक कोड बंद करने की चेतावनी दी गई और कथित रूप से अतिरिक्त पैसों की मांग भी की गई। उनका कहना है कि इससे न केवल उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ, बल्कि परिवार की आजीविका पर भी संकट खड़ा हो गया है। कियोस्क संचालकों ने बताया कि वे इस मामले में न्यायालय की शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाएए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो।

10 कियोस्क सेंटरों का बीसी कोड बंद

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रीवा रीजनल आफिस से जुड़े 10 कियोस्क संचालकों के बीसी कोड बंद कर दिये गये। कोड बंद किये गये कियोस्क संचालकों में मोहित चौहान महराजपुर सीधी, सुशील कुमार पाण्डेय मझिगवां ट्रांसपोर्ट नगर सतना, अवधेश कुमार विश्वकर्मा अरगट शाखा बघवार, ध्रुव कुमार कश्यप सिविल लाइन सतना, प्रदीप कुमार सिंह सिविल लाइन सतना, अभिषेक पाण्डेय यूनियन प्रीमियर सीधी मेन बाजार पड़रा, शाश्वत जायसवाल यूनियन प्रीमियर सीधी मेन बाजार, गुरू प्रसाद जायसवाल बढ़ौरा टिकरी, बृजेश कुमार गुप्ता बढ़ौरा हर्दिहा कोठार, महक बेगम रामपुर बघेलान शामिल हैं।

इनका कहना है

विभिन्न बैंकों के कियोस्क सेंटर संचालन की व्यवस्था कम्पनियों के माध्यम से होती है। शिकायत के आधार पर कियोस्क सेंटर का बीसी कोड बंद किया जाता है। बीसी कोड बंद करने के पूर्व कम्पनी को नोटिस देकर जवाब लेना अनिवार्य नहीं होता है। निश्चित ही कोई बड़ी शिकायतें सामने आयी हों, इसी वजह से बीसी कोड बंद किया गया गया है। सीधी जिले से कियास्क सेंटरों को लेकर बड़ी शिकायतें सामने आई हैं। इसी वजह से हमारे बाहर से आने वाले अधिकारी 3 दिन तक सीधी जिले में विजिट कर आवश्यक जानकारी लेकर कार्यवाई करेंगे।

नवीन निश्चल, रीजनल हेड यूनियन बैंक रीवा संभाग

खोखरा पहुंचे सांसद, विकास कार्यों का किया निरीक्षण

सांसद डॉ .राजेश मिश्रा ने भ्रमण कर ग्रामीणों से किया संवाद

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जून। सीधी सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने धौंहनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोखरा का भ्रमण कर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया तथा क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं और जन समस्याओं की जानकारी प्राप्त की।

भ्रमण के दौरान सांसद ने ग्राम में संचालित विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन योजना सहित अन्य निर्माण कार्यों एवं शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने

कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा एवं वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सांसद ने ग्रामीणों से विकास कार्यों एवं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव भी प्राप्त किए तथा उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने ग्रामीणों से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर डॉ.देवेन्द्र त्रिपाठी, राजभान सिंह, रवेन्द्र उर्मलिया, अनीश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

जिला कांग्रेस के सोशल मीडिया वार रूम की कमान युवा नेता अजीत सिंह को

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जून। जिला कांग्रेस कमेटी सीधी ने संगठन को डिजिटल स्तर पर अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए युवा कांग्रेस नेता अजीत सिंह चौहान सोनवर्षा को सोशल मीडिया विभाग के प्रशिक्षण एवं वार रूम का जिला प्रभारी नियुक्त किया है।

जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी सीधी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न मुद्दों को प्रभावी तरीके से बूथ स्तर पर पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का प्रशिक्षण एवं वार रूम तैयार किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में म.प्र. कांग्रेस

कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल की सहमति व जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अनुमति से अजीत सिंह चौहान सोनवर्षा की जिला प्रभारी प्रशिक्षण एवं वार रूम, सोशल मीडिया विभाग पर नियुक्ति की गई है। मालूम हो कि अजीत सिंह चौहान जिले के उन सक्रिय युवा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने संगठन की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने, युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने में लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। नियुक्ति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवा समर्थकों में उत्साह का माहौल है।

भरोसे पर खरा उतरने का करूंगा प्रयास : अजीत

सोशल मीडिया विभाग के प्रशिक्षण एवं वार रूम का जिला प्रभारी नियुक्त होने पर अजीत सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह, संगठन महासचिव ज्ञानेन्द्र अग्निहोत्री एवं सीधी विधानसभा प्रभारी विनोद शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सोशल मीडिया विभाग के प्रशिक्षण एवं वार रूम को मजबूत बनाने का कार्य करूंगा। संगठन की नीतियों, जनहित के मुद्दों और कांग्रेस की विचारधारा को प्रभावी ढंग से युवाओं एवं आमजन तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता होगी।

सरस्वती विद्यालय मड़रिया में आयोजित हुआ 3 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जून। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़रिया सीधी में जिले के समस्त आचार्यों का त्रि दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 13 जून को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इसमें मुख्य अतिथि हरीराम तिवारी प्रांत प्रमुख, अध्यक्ष शिवानंद सिन्हा प्रांत परीक्षा प्रमुख एवं विभाग समन्वयक ऊर्जांचल विभाग, विशिष्ट अतिथि विजय कुमार सिंह परिहार जिला सचिव रहे। अतिथियों का तिलक वंदन एवं श्रीफल द्वारा स्वागत प्राचार्य राजकुमार सिंह के द्वारा किया गया तथा परिचय करौंदिया विद्यालय के प्राचार्य रमेशचंद्र त्रिपाठी के द्वारा

किया गया। विजय सिंह ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण के द्वारा अपने नौनिहालों को अच्छी शिक्षा व दिशा देने की प्रेरणा मिलती है । इस कार्यक्रम में प्रांत प्रमुख ने कहा कि बिना नियोजन या सोच विचार के कार्य करते हैं तो उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकता है। इंजीनियर के गड़बड़ होने पर पुल टूटता है व कुछ लोग मरते हैं, डॉक्टर के गड़बड़ होने पर भी कुछ लोग ही मरते हैं लेकिन शिक्षक के गड़बड़ होने पर पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शिक्षक को समाज का निर्माता माना जाता है। श्री सिन्हा ने कहा कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ हलचल से होता है। इसलिए हमें राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए विद्यार्थियों को मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनाना होगा। अंत में प्रार्थना का अभ्यास कराया गया। इस कार्यक्रम में चुरहट प्राचार्य श्रीमती सपना पाण्डेय, मझौली प्राचार्य बृजेश मिश्रा, रामपुर नैकिन प्राचार्य अशोक मिश्रा, कोटहा प्रधानाचार्य दिनेश मिश्रा, सुभाष नगर के प्रधानाचार्य मनोज शर्मा एवं जिले भर के सभी आचार्य और दीदियों की सहभागिता सराहनीय रही।

बढ़ौरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजे जयकारे

नवभारत न्यूज

सेमरिया 13 जून। प्रसिद्ध बढ़ौरा शिव मंदिर में आज शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह 4 बजे से ही मंदिर परिसर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना के लिए भक्तों का आना-जाना लगा रहा।

स्थानीय क्षेत्र के अलावा आसपास के गांवों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर जलाभिषेक किया तथा परिवार

की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कई श्रद्धालु भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों में भी शामिल हुए।

मंदिर के आसपास प्रसाद, पूजन सामग्री, नारियल एवं फूल-माला की दुकानों पर भी दिनभर अच्छी खासी रौनक रही। श्रद्धालुओं की आवाजाही से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए। शनिवार को पूरे दिन बढ़ौरा शिव मंदिर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की।

श्रवण एवं वाक बाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जून। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक रूसिया के मार्गदर्शन में श्रवण एवं वाक बाधित व्यक्तियों को उनके विधिक अधिकारों, संवैधानिक संरक्षण, शासकीय कल्याणकारी योजनाओं तथा नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी ऑनलाइन विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

दिव्यांग प्रतिभागियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषियों की विशेष व्यवस्था की गई, जिससे कार्यक्रम की जानकारी सरल, सुगम एवं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सके। कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों को उनके विधिक अधिकारों, शासकीय योजनाओं तथा नि:शुल्क विधिक सेवाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदर्शित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रवण एवं वाक बाधित दिव्यांगजनों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति विवेक रूसिया ने श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों की सुविधा हेतु विकसित ''सांकेत वाणी ऐप'' की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से दिव्यांगजन अपनी सांकेतिक भाषा में वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए गए वीडियो का विशेषज्ञों द्वारा अनुवाद किया जाएगा, जिससे उनकी समस्याओं, शिकायतों एवं आवश्यकताओं को समझने में आसानी होगी। यह ऐप दिव्यांगजनों और न्यायिक संस्थाओं के मध्य संवाद की बाधाओं को कम करने तथा न्याय तक उनकी पहुंच को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की एमसीपीसी की वरिष्ठ प्रशिक्षक अनुजा सक्सेना ने श्रवण बाधित समुदाय के लिए सुलभ विवाद समाधान की जानकारी प्रदान की।

एक नजर में

समान नागरिक संहिता पर जिलेवासियों से सुझाव आमंत्रित

सीधी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, मीडिया प्रतिनिधियों एवं विभिन्न संस्थाओं से मध्यप्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में अपने सुझाव एवं अभिमत प्रस्तुत करने की अपील की है। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार तथा अन्य पारिवारिक विषयों का संचालन विभिन्न विधिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इन विषयों का समग्र अध्ययन कर नागरिकों के लिए समानता, न्यायसंगतता एवं विधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेशवासियों से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। जिले के नागरिक अपने विचार, सुझाव एवं अभिमत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। सुझाव डाक के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। कलेक्टर ने बताया कि सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, गैर-शासकीय संस्थाएं, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन सहित सभी नागरिक इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। कलेक्टर ने जिलेवासियों से इस महत्वपूर्ण विषय पर सक्रिय सहभागिता करने का आग्रह करते हुए कहा कि नागरिकों के सुझाव एक अधिक प्रभावी, न्यायपूर्ण एवं जनहितकारी विधिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

नाम जोड़ने एवं विलोपन संबंधी दावे आपत्तियां कल तक

सीधी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि नगरपालिकाओं एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु दावे तथा नाम विलोपित कराने संबंधी आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने जिले के सभी एसडीएमों एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, तहसीलदारों एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों,सीईओ तथा सीएमओं को निर्देशित किया है कि शेष अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका वार्डों में सक्रिय रूप से उपस्थित रहकर पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दावे प्राप्त करें। साथ ही मृतक, अज्ञात, स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम विलोपित किए जाने संबंधी आपत्तियां प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वेंडर द्वारा ऐसी जांच सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें उन मतदाताओं का विवरण शामिल है जिनके नाम पंचायत अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा निर्वाचन नामावली-2025 में दर्ज नहीं हैं। इस जांच सूची को तत्काल प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में सत्यापन एवं मार्किंग की कार्रवाई 15 जून तक पूर्ण की जानी है। इसके उपरांत सूची को आवश्यक विलोपन कार्रवाई हेतु 16 जून को स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से वेंडर को अनिवार्य रूप से वापस भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के पास विधानसभा निर्वाचन नामावली की एसडीआर सूची-2026 उपलब्ध है, जिसमें विधानसभा मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं का विवरण दर्ज है। इन मतदाताओं का भी 15 जून तक सत्यापन कर नियमानुसार पंचायत एवं नगरपालिका मतदाता सूची से नाम विलोपित करने की कार्रवाई समय-सीमा में पूर्ण की जानी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जांच सूची एवं एसडीआर सूची के आधार पर की जाने वाली इन कार्यवाहियों से विधानसभा तथा पंचायत-नगरपालिका मतदाता सूचियों में विद्यमान असमानता को दूर किया जा सकेगा।

मप्र शिक्षक कांग्रेस 16 को सौंपेगा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जून। म.प्र. शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कृपा शंकर मिश्र ने जिले के समस्त शिक्षकों एवं शिक्षक कांग्रेस पदाधिकारियों से अपील की है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त रखे जाने की मांग को लेकर 16 जून 2026 को कलेक्ट्रेट कैम्पस में प्रधानमंत्री को ज्ञापन जिला कलेक्टर सीधी के माध्यम से सौंपा जायेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए शिक्षक अपनी निर्धारित योग्यता एवं चयन प्रक्रिया के आधार पर वर्षों से शिक्षा सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को पुन: पात्रता परीक्षा के दायरे में लाना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में केन्द्र सरकार से उचित निर्णय लेने एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 के संशोधित भाग अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में पुन: संशोधन कर आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से मुक्ति दिलाये जाने हेतु ज्ञापन दिया जायेगा। उन्होंने सभी शिक्षकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी मांग को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया है।

5 दिवसीय प्रेरणा प्रशिक्षण में शिक्षकों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जून। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार विकासखंड मझौली के शासकीय हाईस्कूल एवं उच्च. माध्य. विद्यालयों के प्राचार्यों, व्याख्याताओं, उच्च माध्यमिक शिक्षकों, शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों तथा गैर-शिक्षकीय लोकसेवकों के लिए 5 दिवसीय प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

डीईओ सीधी एवं बीईओ मझौली के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण 8 से 12 जून तक सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

पथरौला में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों में सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित करना, शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना तथा विद्यालयों में बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करना था। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, नवाचार आधारित शिक्षण, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार, विद्यालय प्रबंधन, अनुशासन, नैतिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। विकासखंड के सभी संबंधित शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय लोकसेवकों ने प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए इसे ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बताया। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में प्राप्त अनुभवों और नवाचारों को अपने-अपने विद्यालयों में लागू कर शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया।

किसानों को गांव में ही मिलेंगी सहकारी सुविधाएं : विश्वामित्र

बी-पैक्स सोनवर्षा एवं बघौड़ी का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जून। विधानसभा क्षेत्र सिहावल अंतर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (बी-पैक्स) सोनवर्षा एवं बघौड़ी के नवीन समिति कार्यालयों का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

इस अवसर पर विधायक विश्वामित्र पाठक ने कहा कि कृषि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा किसानों की समृद्धि के बिना ग्रामीण विकास की कल्पना अधूरी है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को संगठित कर उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। बी-पैक्स

व्यवस्था किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विधायक श्री पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने तथा कृषि लागत कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बी-पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, ऋण, मृदा परीक्षण, कृषि सलाह एवं अन्य सहकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जिससे उन्हें अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी और समय तथा संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास है और इसी भावना के साथ स्थापित बी-पैक्स सोनवर्षा एवं बघौड़ी क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने तथा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों से समितियों का अधिकतम लाभ लेने तथा सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, सिद्धार्थ गौतम, सीईओ जनपद पंचायत सिहावल रोहित उपाध्याय, सीईओ सहकारिता गणेश चंद्रवंशी, तहसीलदार जय प्रकाश पाण्डेय, आशय तिवारी सहकारी समिति निरीक्षक , नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी राकेश सिंह वैश सहित बड़ी संख्या में किसान एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

प्रश्न पत्र प्रकरण में महाविद्यालय की कोई भूमिका नहीं : डॉ .प्रभाकर

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जून। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी के प्राचार्य डॉ.प्रभाकर सिंह ने 3 जून 2026 को आयोजित परीक्षा के प्रश्नपत्र से संबंधित वायरल वीडियो एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही भ्रामक जानकारियों पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

डॉ.सिंह ने कहा कि महाविद्यालय परिवार विगत कई दशकों से विद्यार्थियों के हित में गुणवत्तापूर्ण, सस्ती एवं सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। महाविद्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी छात्र कल्याण तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि 3 जून 2026 को आयोजित परीक्षा का प्रश्नपत्र बाह्य परीक्षक द्वारा तैयार किया गया था जो महाविद्यालय को 7 अप्रैल को प्राप्त हुआ था। जबकि विवादित प्रश्नपत्र का वीडियो यूट्यूब चैनल पर 5 अप्रैल 2026 को ही अपलोड किया जा चुका था। इससे स्पष्ट है कि संबंधित सामग्री महाविद्यालय को प्रश्नपत्र प्राप्त होने से पूर्व ही सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध थी। प्राचार्य ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद महाविद्यालय को मामले से जोड़कर किया जा रहा प्रचार पूरी तरह भ्रामक है। डॉ.प्रभाकर सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं निष्कर्षों के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।